

झारखण्ड सरकार

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक

अबुबकर सिद्दीख पी0, (भा0 प्र0 से0)
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महामन्त्री, खाकर,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा - आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 12/11/25

विषय - भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विरुद्ध स्टेट टॉप अप सहायता की अवशेष राशि मो0 394.33184 लाख (तीन करोड़ चौरानवे लाख तैंतीस हजार एक सौ चौरासी) रु0 मात्र पर योजना कियान्वयन तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विरुद्ध स्टेट टॉप अप सहायता की अवशेष राशि मो0 394.33184 लाख (तीन करोड़ चौरानवे लाख तैंतीस हजार एक सौ चौरासी) रु0 मात्र पर योजना कियान्वयन तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्टेट टॉप अप सहायता हेतु मो0 450.00 लाख (चार करोड़ पचास लाख) रुपये का योजना उद्व्यय एवं इतनी ही राशि का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 394.33184 लाख (तीन करोड़ चौरानवे लाख तैंतीस हजार एक सौ चौरासी) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

मो0 संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (राशि रु0 में)

क्र	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं0 04 रा0 (वि0) दिनांक 10.06.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (PMSY & DAJGUA)	स्वीकृत्यादेश सं0 15 रा0 (वि0) दिनांक 20.08.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (Insurance)	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन						
1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	200000000	123000000	0	0	77000000
	कुल केन्द्रांश	200000000	123000000	0	0	77000000
2	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	133300000	82000000	0	0	51300000
3	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	3700000	0	0	0	3700000
4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X24050010177010649	18000000	0	3233519	14766481	0
	कुल राज्यांश	155000000	82000000	3233519	14766481	55000000

क	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं० 04 रा० (वि०) दिनांक 10.06.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (PMMSY & DAJGUA)	स्वीकृत्यादेश सं० 15 रा० (वि०) दिनांक 20.08.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (Insurance)	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना						
5	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	100000000	22000000	0	0	78000000
	कुल केन्द्रांश	100000000	22000000	0	0	78000000
6	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	66700000	14667000	0	0	52033000
7	07-अन्य व्यय- 59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	1000000	0	0	0	1000000
8	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X24050078977010649	9000000	0	546863	8453137	0
	कुल राज्यांश	76700000	14667000	546863	8453137	53033000
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना						
9	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	124900000	80000000	0	0	44900000
	कुल केन्द्रांश	124900000	80000000	0	0	44900000
10	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	83200000	53333000	0	0	29867000
11	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	2300000	0	0	0	2300000
12	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X24050079677010649	18000000	0	1786434	16213566	0
	कुल राज्यांश	103500000	53333000	1786434	16213566	32167000
	सकल केन्द्रांश:	424900000	225000000	0	0	199900000
	सकल राज्यांश	335200000	150000000	5566816	39433184	140200000
	कुल योग (2405) :	760100000	375000000	5566816	39433184	340100000

मो० 394.33184 लाख (तीन करोड़ चौरानवे लाख तैंतीस हजार एक सौ चौरासी) रु० मात्र।

4. भारत सरकार द्वारा देश में मछली पालन को बढ़ावा देने, मत्स्य कृषकों की आय दुगुनी करने, मत्स्य पालन के क्षेत्र में नए रोजगार सृजन तथा फसलोत्तर क्षति को कम करने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कियान्वित की जा रही है।

5. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुये निजी क्षेत्र के लाभुकों के लिए मूल अनुदान की राशि के साथ-साथ स्टेट टॉप-अप से अतिरिक्त सहायता देने की माँग सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा विभागीय बैठकों में की जाती रही है। दिनांक 16.09.2022 को स्टेट टॉप-अप के लिए सम्पन्न विभागीय बैठक में सभी कोटि यथा General/ST/SC/Women को Unit cost का पूर्व निर्धारित अनुदान के साथ और 25 % राज्य योजना अंतर्गत स्टेट टॉप-अप के रुप में दिये जाने की अनुशंसा निम्न रुप में की गई है -

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र०	कम्पोनेंट्स का नाम	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)			
		इकाई लागत	General कोटि में सरकार का अनुदान (40 %)	ST/SC/Women कोटि में सरकार का अनुदान (60 %)	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की प्रस्तावित राशि (Unit cost का 25 %)
1	2	3	4	5	6
1.1	कार्प हैचरी अधिष्ठापन कार्य	25.00	10.00	15.00	6.25
1.3	नये रियरिंग तालाब का निर्माण (नर्सरी/बीज रियरिंग तालाब)	7.00/ha	2.80	4.20	1.75
1.4	नये ग्रे आउट तालाब का निर्माण	7.00	2.80	4.20	1.75
1.12	बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण (4 लाख रु० प्रति हे० इनपुट सहित)	14.00	5.60	8.40	3.50
4.1	बैकवॉर्ड सजावटी/रंगीन/अलंकारी मछलियों की रियरिंग इकाई	3.00	1.20	1.80	0.75
4.2	मध्यम आकार के सजावटी/रंगीन/अलंकारी मछलियों की रियरिंग इकाई	8.00	3.20	4.80	2.00
4.3	समेकित अलंकारी मछलियों की पालन एवं प्रजनन इकाई (मीठा जल मछली)	25.00	10.00	15.00	6.25
5.1 a	बड़े आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 90 घनमीटर प्रति क्षमता वाले 08 टैंक एवं 40 टन/कार्प मछली उत्पादन की क्षमता)	50.00	20.00	30.00	12.50
5.1 b	04 मी० व्यास एवं 1.5 मी० उंचाई के 50 टैंक वाले बड़े बायोफ्लॉक की स्थापना	50.00	20.00	30.00	12.50
5.2 a	मध्यम आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 30 घनमीटर प्रति क्षमता वाले 06 टैंक एवं 10 टन/कार्प मछली उत्पादन की क्षमता)	25.00	10.00	15.00	6.25
5.2 b	04 मी० व्यास एवं 1 मी० उंचाई के 25 टैंक वाले मध्यम बायोफ्लॉक की स्थापना	25.00	10.00	15.00	6.25
5.3 a	छोटे आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 100 घनमीटर क्षमता का 01 टैंक)	7.50	3.00	4.50	1.88
5.3 b	04 मी० व्यास एवं 1.5 मी० उंचाई के 07 टैंक वाले छोटे बायोफ्लॉक की स्थापना	7.50	3.00	4.50	1.88
5.4	बैकवॉर्ड मिनी आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना	0.50	0.20	0.30	0.13
5.5	जलाशयों में केज अधिष्ठापन	3.00	1.20	1.80	0.75
6.1 a	कम से कम 10 टन क्षमता वाले शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज)/आईस प्लान्ट निर्माण	40.00	16.00	24.00	10.00
6.9 a	लघु फिश फीड मिल (प्रतिदिन 02 टन उत्पादन क्षमता)	30.00	12.00	18.00	7.50

6. (क) निजी क्षेत्र के लिए लाभुक जनित योजनाओं में कोटिवार लाभुकों का अंशदान एवं स्टेट टॉप-अप से दिये जाने वाले अनुदान की स्थिति निम्न प्रकार होगी -

लाभुकों की कोटि	इकाई लागत	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी अनुदान की राशि			लाभुकों का अंशदान	स्टेट टॉप-अप से अनुदान की राशि	स्टेट टॉप-अप के उपरांत लाभुक का अंशदान
		सरकारी अनुदान	कुल सरकारी अनुदान में				
			केन्द्रांश *	राज्यांश *			
General	100	40 %	60 %	40%	60%	25 %	35 %
ST	100	60 %	60 %	40%	40%	25 %	15 %
SC	100	60 %	60 %	40%	40%	25 %	15 %
Women	100	60 %	60 %	40%	40%	25 %	15 %

*केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि सरकारी अनुदान में निहित है।

(ख) निजी क्षेत्र के लाभुकों के लिए इकाई लागत (मानक 100/- रु0 मात्र मानते हुए) के विरुद्ध राज्यांश मद का अनुदान एवं राज्य योजना के स्टेट टॉप-अप से दी जाने वाली सहायता से राज्य सरकार पर पड़ने वाला व्यय भार निम्न प्रकार है -

लाभुकों की कोटि	इकाई लागत	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी अनुदान की राशि			स्टेट टॉप-अप से अनुदान की राशि	राज्य सरकार पर पड़ने वाला कुल व्यय भार
		सरकारी अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश		
General	100	40	24	16	25	41
ST	100	60	36	24	25	49
SC	100	60	36	24	25	49
Women	100	60	36	24	25	49

7. राज्य के अधिकांश मत्स्य कृषक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लाभुक के रूप में अपना अंशदान लगाने में सक्षम नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से टॉप-अप सहायता उपलब्ध कराने से लाभुक सुगमतापूर्वक ससमय योजना क्रियान्वित कर सकेंगे।

8. पूर्व में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की निर्गत कार्यवाही में भी अंकित है कि वैसी योजनाएँ जो केन्द्र संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं, उनमें मात्र अनुदान की राशि की वृद्धि की स्थिति में अन्तर राशि ही Top-up के रूप में राज्य मद से प्रावधानित की जाय।

(क) उक्त के आलोक में केज कल्चर हेतु राज्य योजना - तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढीकरण क्रियान्वित की जा रही है जिसका चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यादेश सं0 10 रा0 (वि0) दिनांक 04.07.2025 निर्गत है। उक्त निर्गत राज्यादेश में सभी कोटि के लिए केज अधिष्ठापन हेतु राज्य सरकार द्वारा 90 % एवं इनपुट हेतु 50 % अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे केज कल्चर के कुल इकाई लागत का लगभग 70 % अनुदान लाभुकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी सभी कोटि के लिए इसीप्रकार 70 % तक अनुदान स्टेट टॉप-अप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत स्वीकृत होने वाले केज कल्चर में स्टेट टॉप-अप से General कोटि के लिए 30 % तक एवं ST/SC/Women कोटि के लिए 10 % तक की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा केज अधिष्ठापन की लागत का अधिकतम 90 % तक ही केज कल्चर हेतु उपलब्ध कराये गये कुल अनुदान (केन्द्रांश + राज्यांश + स्टेट टॉप-अप) में से एवं शेष इनपुट में व्यय किया जायेगा।

(ख) राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रियरिंग तालाब का निर्माण योजना भी स्वीकृत है किन्तु राज्य योजना तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृत इकाई लागत में भिन्नता है। राज्य योजना में वर्ष 2022-23 में निर्गत राज्यादेश सं0 02 रा0 (वि0) दिनांक 25.05.2022 में इकाई लागत मो0 5.008 लाख रु0 प्रति एकड़ अर्थात् मो0 12.52 लाख रु0 प्रति हेक्टेयर है। जबकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इकाई लागत मो0 7.00 लाख रु0 प्रति हेक्टेयर मात्र है। अतएव इसमें स्टेट टॉप-अप से और 25 % तक सहायता उपलब्ध कराया जाना है।

9. (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पत्रांक j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) दिनांक 06.08.2024 से प्रथम चरण में मो0 11.326 करोड़ रुपये मात्र का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें मो0 3.8554 करोड़ रु0 केन्द्रांश, मो0 2.5702 करोड़ रु0 राज्यांश तथा मो0 4.9004 करोड़ रु0 लाभुकों का अंशदान है। इसकी स्वीकृति राज्यादेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024 द्वारा प्राप्त है। दिनांक 16.09.2022 को इस योजना के लिए सम्पन्न उक्त वर्णित विभागीय बैठक में Beneficiary Oriented Schemes में स्टेट टॉप-अप के लिए की गई अनुशंसा के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में आकलित स्टेट टॉप - अप की कुल राशि मो0 2.68 करोड़ रुपये मात्र है जिसकी विवरणी वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत राज्यादेश सं0 56 रा0 (वि0) दिनांक 06.03.2025 के परिशिष्ट - 'I' के रूप में निर्गत है। उक्त वित्तीय वर्ष में इस योजना हेतु उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 1.2285 करोड़ रु0 मात्र का ही

व्यय किये जाने तथा शेष राशि मो0 1.4515 करोड़ रु0 मात्र के व्यय हेतु चालू अथवा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में समुचित उपबंध प्राप्त कर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

किन्तु विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित मो0 1.2285 करोड़ रु0 मात्र के विरुद्ध मात्र मो0 0.0965 करोड़ रु0 मात्र का ही जिलावार व्यय किया जा सका है।

उपरोक्त के कम में जिलावार प्राप्त अवशेष राशि की मांग तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्टेट टॉप - अप हेतु उपलब्ध बजट उपबंध मो0 4.50 करोड़ रु0 मात्र में से जिलावार मांग के अनुरूप मो0 0.8705 करोड़ रु0 मात्र का व्यय तथा शेष राशि मो0 1.713 करोड़ रु0 मात्र का व्यय चालू अथवा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में समुचित उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा। इसकी विवरणी परिशिष्ट - 'I A', 'I B' तथा 'I C' के रूप में संलग्न है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विरुद्ध स्टेट टॉप-अप सहायता हेतु निर्गत राज्यादेश सं0 46 रा0 (वि0) दिनांक 26.02.2024 में मो0 18.1615 करोड़ रुपये मात्र के योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति के विरुद्ध उक्त वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 8.73538 करोड़ रु0 (मो0 3.45995 करोड़ रु0 लाभुक के खाते में एवं मो0 5.27543 करोड़ रु0 पी0 एल0 खाते में) मात्र तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत राज्यादेश सं0 56 रा0 (वि0) दिनांक 06.03.2025 के कम में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 2.13 करोड़ रु0 मात्र का ही जिलावार व्यय किया जा सका है। इसप्रकार योजना क्रियान्वयन की कुल स्वीकृत राशि मो0 18.1615 करोड़ रु0 मात्र के विरुद्ध मात्र मो0 10.865 करोड़ रु0 मात्र का ही व्यय किया जा सका है।

उपरोक्त के कम में जिलावार प्राप्त अवशेष राशि की मांग तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्टेट टॉप - अप हेतु उपलब्ध बजट उपबंध मो0 4.50 करोड़ रु0 मात्र में से जिलावार मांग के अनुरूप मो0 3.073 करोड़ रु0 मात्र का व्यय तथा शेष राशि मो0 4.2235 करोड़ रु0 मात्र का व्यय चालू अथवा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में समुचित उपबंध प्राप्त कर किया जायेगा। इसकी विवरणी परिशिष्ट - 'II A', 'II B' तथा 'II C' के रूप में संलग्न है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधीन कोई योजना अबतक स्वीकृत नहीं होने के कारण स्टेट टॉप-अप सहायता स्वीकृत नहीं है।

Group Accident Insurance Scheme (GAIS) के तहत मात्र राज्यांश मद के SNA-SPARSH Module पर प्रीमियम के भुगतान के कम में आ रही तकनीकी कठिनाई को दूर करने हेतु वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के ही Top Up मद में उपलब्ध बजटीय उपबंध से प्रीमियम भुगतान का परामर्श दिया गया है। जिसके कम में Top Up मद में उपलब्ध बजटीय उपबंध से प्रीमियम भुगतान किया गया है।

(घ) इसीप्रकार केन्द्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा आगामी वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रशासनिक अनुमोदनों के समानुपातिक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में निर्गत होने वाले स्वीकृत्यादेशों के विरुद्ध स्टेट टॉप-अप हेतु सम्यक् योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त करते हुए राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

10. योजना की feasibility की जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

11. जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जिन कार्यों के लिए राशि विमुक्त की गई है, स्टेट टॉप-अप की राशि का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जाए तथा राशि का विचलन नहीं हो।

12. जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का अंशदान समानुपातिक रूप से व्यय हो। स्टेट टॉप-अप की राशि डी0 बी0 टी0 के माध्यम से व्यय की जाएगी।

13. जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

hant

राजीव

hant

hant

hant

hant

14. केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का चयन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, PFMS Division, भारत सरकार के पत्रांक 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 04.09.2023 द्वारा SNA – SPARSH Module पर क्रियान्वयन हेतु किया गया है। किन्तु तकनीकी कारणों से भारत सरकार द्वारा SNA – SPARSH Portal पर क्रियान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधीन State Top-Up के लिए मात्र राज्यांश की निकासी SNA – SPARSH Platform से करना संभव नहीं है क्योंकि State Top-Up के लिए Matching Central Share SNA – SPARSH Platform पर उपलब्ध नहीं होता। इसलिए वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा विगत वर्ष में Top-Up भुगतान के संबंध में दिए गए परामर्श तथा चालू वित्तीय वर्ष में Top-Up मद से बीमा के प्रीमियम भुगतान हेतु दिए गए परामर्श के कम में स्टेट टॉप-अप की राशि का भुगतान Normal Treasury Payment की प्रणाली का उपयोग करते हुए किया जाएगा।

इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे जो दिये गये जिलावार भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य (संलग्न परिशिष्ट – 'I A', 'I B' तथा 'I C' तथा 'II A', 'II B' तथा 'II C') के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

15. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

16. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।

17. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

18. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा सी0एस0-01/आर0-04/ 2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

19. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

20. स्वीकृत्यादेश में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

21. राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 20.01.2023 को विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक जिसकी कार्यवाही योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक रा0 यो0 प्रा0 – 49/2023 दिनांक 03.02.2023 द्वारा निर्गत है, में इस योजना की अनुशंसा निम्न दो शर्तों के साथ की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा –

(क) योजना के क्रियान्वयन के कम में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ख) इस योजना के अंतर्गत तीन किस्तों में दिये जाने वाले राज्यांश की राशि के साथ स्टेट टॉप-अप की राशि विमुक्त की जाय।

22. केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप के विभागीय संलेख ज्ञापांक-270, दिनांक 27.02.2023 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 17.04.2023 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृत है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

24. योजना स्वीकृति प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का निम्नांकित निदेशों के साथ अनुमोदन प्राप्त है :-

(i) नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Page 6 of 7

- (ii) योजना क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ-साथ अन्य विभागीय शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
25. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
26. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर ख़िददीख पी०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 28 रा० (वि०) / राँची, दिनांक 12.11.2025

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं सभी सहायक मत्स्य निदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 28 रा० (वि०) / राँची, दिनांक 12.11.2025

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 28 रा० (वि०) / राँची, दिनांक 12.11.2025

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

सचिव

सचिव

सचिव

सरकार के सचिव

परिशिष्ट-I

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विरुद्ध राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए स्टेट टॉप - अप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत राज्यादेशा सं0 56 रा0 (वि0) दिनांक 06.03.2025 में परिशिष्ट - I के रूप में स्वीकृत है।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

परिशिष्ट-1A

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अर्न्तगत उप शीर्ष-7-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना में लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन के तहत वित्तिय वर्ष 2024-25 के जिलावार मांग के विरुद्ध अवशेष एवं आवश्यक स्टेट टॉप अप की विवरणी

(राशि लाख रु में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)				Total Cost	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि (Unit cost का 25 %)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की गई स्टेट टॉप-अप की राशि	चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्टेट टॉप-अप के व्यय की राशि	स्टेट टॉप-अप की अवशेष राशि
					General	ST	Women	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY													
1	Development of Inland Fisheries and Aquaculture												
1.3	Construction of New Rearing ponds(nursery/seed rearing ponds)	7.00	Ha	Deoghar	0	0	8	8	56.00	14.00	0.000	10.000	4.000
				Chatra	0	0	1	1	7.00	1.75	0.000	0.000	1.750
				Palamu	5	4	10	19	133.00	33.25	0.000	15.000	18.250
				Total	5	4	19	28	196.00	49.00	0.000	25.000	24.000
2.7	Bivalve cultivation	0.20	No.	Hazaribagh	0	2	0	2	0.40	0.00	0.000	0.000	0.000
				Total	0	2	0	2	0.40	0.00	0.000	0.000	0.000
5	Technology Infusion and Adaptation												
5.1.2	Establishment of Biofloc (50 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	50.00	Nos.	Palamu	2	2	1	5	250.00	62.5000	0.000	6.250	56.250
				Total	2	2	1	5	250.00	62.5000	0.000	6.250	0.000
				Dhanbad	0	0	1	1	25.00	6.2500	0.000	0.000	1.250
				Godda	0	0	1	1	25.00	6.2500	0.000	6.250	0.000
				Palamu	1	0	0	1	25.00	6.2500	0.000	11.250	1.250
				Total	1	0	2	3	75.00	18.7500	6.250		
9	Aquatic health management												
9.2	Disease diagnostic and quality testing Mobile labs/clinics	35.00	Nos.	Giridih	0	0	1	1	35.00	0.0000	0.000	0.000	0.000
				Total	0	0	1	1	35.00	0.0000	0.000	0.000	0.000
				Total :	8	8	23	39	556.40	130.250	6.250	42.500	81.500

(कपाकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।)

(बयालीस लाख पचास हजार रु० मात्र)

(अनुसूचक अधिकारी प्रो.)
सरकार की सचिव

परिशिष्ट-1 B

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अन्तर्गत उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना में लघु शीर्ष-788-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के जिलावार मांग के विरुद्ध अवशेष एवं आवश्यक स्टेट टॉप अप की विवरणी

(राशि लाख ₹0 में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District			Total Cost	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि (Unit cost का 25 %)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की गई स्टेट टॉप-अप की राशि	चाहू वित्तीय वर्ष 2025-26 के उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्टेट टॉप-अप के व्यय की राशि	स्टेट टॉप-अप की अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY											
1	Development of Inland Fisheries and Aquaculture										
1.3	Construction of New Rearing ponds(nursery/seed rearing ponds)	7.00	Ha	Ramgarh	1	1	7.00	1.750	0.000	1.750	0.000
				Chatra	1	1	7.00	1.750	0.000	0.000	1.750
				Palamu	2	2	14.00	3.500	0.000	0.000	3.500
				Total	4	4	28.00	7.000	0.000	1.750	5.250
4	Development of Ornamental and recreational Fisheries										
4.3	Integrated Ornamental Fish Unit (Breeding and Rearing for Freshwater fish)	25.00	Nos.	Palamu	1	1	25.00	6.250	0.000	0.000	6.250
				Total	1	1	25.00	6.250	0.000	0.000	6.250
5	Technology Infusion and Adaptation										
5.1.2	Establishment of Biofloc (50 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	50.00	Nos.	Garhwa	1	1	50.00	12.500	2.500	0.000	10.000
				Palamu	1	1	50.00	12.500	0.000	0.000	12.500
				Total	2	2	100.00	25.000	2.500	0.000	22.500
5.2.2	Establishment of Biofloc Culture System (25 tank of 4m dia and 1m High)	25.00	Nos.	Giridih	1	1	25.00	6.250	0.000	0.000	6.250
				Palamu	1	1	25.00	6.250	0.000	0.000	6.250
				Total	2	2	50.00	12.500	0.000	0.000	12.500
Total :					9	9	203.00	50.750	2.500	1.750	46.500

(कपीकित राशि को आबंटन नहीं समझा जाय।)

(एक लाख पचाहत्तर हजार ₹0 मात्र)

(अनुबन्धक सिद्धांत 10)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट-1C

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अन्तर्गत उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना में लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के जिलावार मांग के विरुद्ध अवशेष एवं आवश्यक स्टेट टॉप अप की विवरणी

राशि लाख रु में														
S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)				Total Cost	राज्य योजना से स्टेट टॉप-अप की राशि (Unit cost का 25 %)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की गई स्टेट टॉप-अप की राशि	वार्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्टेट टॉप-अप के व्यय की राशि	स्टेट टॉप-अप की अवशेष राशि	
					General	ST	Women	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY														
Development of Inland Fisheries and Aquaculture														
1.3	Construction of New Rearing ponds(nursery/seed rearing ponds)	7.00	Ha	Pakur	0	1	0	1	7.00	1.7500	0.000	0.000	1.750	
				Total	0	1	0	1	7.00	1.7500	0.000	0.000	1.750	
2.7	Bivalve cultivation	0.20	No.	Ranchi	0	1	0	1	0.20	0.0000	0.000	0.000	0.000	
				Total	0	1	0	1	0.20	0.0000	0.000	0.000	0.000	
Development of Ornamental and recreational Fisheries														
4.2	Medium scale Ornamental fish Rearing unit (Both marine and Freshwater)	8.00	Nos.	Dumka	0	0	2	2	16.00	4.0000	0.00	0.65	3.3500	
				Total	0	0	2	2	16.00	4.0000	0.00	0.65	3.35	
4.3	Integrated Ornamental Fish Unit (Breeding and Rearing for Freshwater fish)	25.00	Nos.	Dumka	0	0	1	1	25.00	6.2500	0.000	0.750	5.500	
				Sahebganj	0	1	0	1	25.00	6.2500	0.000	6.250	0.000	
				Total	0	1	1	2	50.00	12.5000	0.000	7.000	5.500	
Technology Infusion and Adaptation														
5.1.2	Establishment of Biofloc (50 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	50.00	Nos.	Dumka	0	0	2	2	100.00	25.0000	0.000	3.000	22.000	
				Sahebganj	0	0	1	1	50.00	12.5000	0.000	12.500	0.000	
				Total	0	0	3	3	150.00	37.5000	0.000	15.500	22.000	
				Chaibasa	1	0	0	1	25.00	6.2500	0.000	6.250	0.000	
				Dumka	0	1	1	2	50.00	12.5000	0.000	1.800	10.700	
				Jamshedpur	0	1	0	1	25.00	6.2500	0.900	5.350	0.000	
				Khunti	0	0	1	1	25.00	6.2500	0.000	6.250	0.000	
				Total	1	2	2	5	125.00	31.2500	0.900	19.650	10.700	
Fisheries extension and support services														
12.1	Extension and support Service (Matsya Seva Kendra)	25.00	Nos.	Sahebganj	0	0	1	1	25.00	0.0000	0.000	0.000	0.0000	
				Total	0	0	1	1	25.00	0.0000	0.000	0.000	0.0000	
				Total :	1	5	9	15	373.20	87.000	0.900	42.800	43.300	

कृषि विभाग, राँची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारन, मुंगेर, पूर्वांचल, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep, Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh

(कृपया ध्यान दें कि आंकड़े नहीं समझा जायें)

(यथालीप्त लाख अस्सी हजार रु० मात्र)

(अनुवर्तक सिस्टम के माध्यम से)
सरकार के/सेवा

परिशिष्ट-II

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के विरुद्ध राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप - अप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्गत राज्यादेश सं० 46 रा० वि० दिनांक 26.02.2024 में परिशिष्ट - I के रूप में स्वीकृत है।

(संकेत)

(संकेत)

(संकेत)

(संकेत)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Hrs.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)				Total Cost (Rs. in lakh)	एकक आधारित प्रति-एकक की लागत (Unit cost का 25 %)	आवक वर्ष 2023-24 में आवक की गई प्रति-एकक की लागत (Rs. in lakh)			आवक वर्ष 2023-24 में आवक की गई एकक आधारित प्रति-एकक की लागत (Rs. in lakh)		आवक वर्ष 2023-24 में आवक की गई एकक आधारित प्रति-एकक की लागत (Rs. in lakh)		एकक आधारित प्रति-एकक की लागत (Rs. in lakh)
					General	ST		Women			Total	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
5.3.1	Establishment of RAS (with 1 tank of 100m3 capacity)	7.50	Nos.	Chara	0	0	3	3	60.00	5.625	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Palamu	0	0	1	1		1.875	0.425	0.000	1.450	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Deoghar	0	0	3	3		5.625	1.875	0.000	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Koderna	0	0	1	1		1.875	0.000	0.000	1.875	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Total	0	0	8	8		15.000	2.300	0.000	7.075	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Chara	1	0	5	6		11.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Dhanbad	1	0	3	4		7.500	0.000	0.000	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Palamu	0	0	3	3		5.625	1.745	0.000	3.125	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Gairhwa	1	1	3	5		9.375	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Ramgarh	0	0	3	3		5.625	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5.3.2	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Giridih	0	0	2	2	285.00	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Bokaro	0	0	2	2		3.750	0.000	0.000	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Deoghar	0	0	3	3		5.625	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Koderna	0	0	4	4		7.500	3.750	0.000	3.750	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Godda	1	0	5	6		11.250	1.500	0.000	9.750	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Total	4	1	33	38		71.250	16.370	0.000	24.125	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Hazaribagh	0	20	32	52		15.600	15.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Koderna	0	0	20	20		6.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Bokaro	0	8	20	28		8.400	8.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Total	0	28	72	100		30.000	21.600	0.000	8.400	0.000	0.000	0.000	0.000	
B. Infrastructure And Post Harvest Management																		
6.1	Construction of Cold Storages/ Ice Plants																	
6.1.1	Construction of Ice Plants/Cold Storages (min 10 ton capacity production)	40.00	Nos.	Palamu	0	0	2	2	200.00	20.000	5.473	0.000	7.150	0.000	0.000	0.000		
				Bokaro	0	0	1	1		10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Deoghar	0	0	1	1		10.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Godda	0	0	1	1		10.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Total	0	0	5	5		50.000	5.473	0.000	15.150	0.000	0.000	0.000	0.000	
6.9	Fish Feed Mills																	
6.9.1	Mini Feed Mills of production capacity 2 ton/day	30.00	Nos.	Chara	1	0	1	2	120.00	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Palamu	0	1	1	2		15.000	0.000	0.000	6.750	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Total	1	1	2	4		30.000	0.000	0.000	6.750	0.000	0.000	0.000	0.000	
3079.00 724.750 111.958 248.279 83.138 105.165 176.211																		

(कृपया निम्नलिखित सही को अवधान नही समझा जाय।) (एक करोड़ पाँच लाख सोलह हजार पाँच सौ रु० मात्र)

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular official stamp and several handwritten notes in Hindi.

प्रमाणित किया जाता है कि (अनुसूचित जाति) जाति के व्यक्ति द्वारा

परिशिष्ट-II-C

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अन्तर्गत उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना में लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के जिलावार भाग के विवरण के विरुद्ध अवशेष एवं आवश्यक स्टेट टॉप अप की विवरणी

(राशि लाख रु में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)				Total Cost (Rs. in lakh)	ग्राम योजना से पेटे टॉप-अप की राशि (Unit कॉस्ट का 25 %)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में टॉप-अप की राशि (Rs. in lakh)	ग्राम योजना की राशि में शामिल की गई वित्तीय राशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्राम योजना की राशि में शामिल की गई टॉप-अप की वित्तीय राशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्राम योजना की राशि में शामिल की गई टॉप-अप की राशि में शामिल की गई वित्तीय राशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्राम योजना की राशि में शामिल की गई टॉप-अप की राशि में शामिल की गई वित्तीय राशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्राम योजना की राशि में शामिल की गई टॉप-अप की राशि में शामिल की गई वित्तीय राशि
					General	ST	Women	Total								
2																
A ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY																
1	Development of Inland Fisheries and Aquaculture				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1	Establishment of New Freshwater Carp Hatcheries	25.00	Nos.		0	0	1	1	50.00	6.250	0.300	2.700	0.000	3.250	0.000	0.000
					0	0	1	1		6.250	1.875	1.125	0.000	6.500	0.000	0.000
					0	0	2	2		12.500	2.175	3.825	0.000	0.000	0.000	3.500
					0	2	0	2		3.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.750
					0	0	1	1		1.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
					0	3	7	10		17.500	0.000	15.000	2.500	0.000	0.000	5.250
					0	5	8	13		22.750	0.000	15.000	2.500	0.000	0.000	1.750
					0	1	0	1		1.750	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	4.000
					0	10	10	20		35.000	21.000	9.000	0.000	0.500	0.000	0.000
					0	0	1	2		3.500	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	1.750
					1	0	1	1		1.750	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	7.500
					0	1	0	1		1.750	0.000	1.500	0.250	1.500	1.000	12.650
					1	12	12	25		43.750	21.000	13.500	0.250	1.500	0.000	0.000
					0	1	4	5		17.500	1.250	2.600	0.000	1.500	0.000	0.000
					0	1	0	1		3.500	0.000	2.000	0.000	4.000	0.000	8.000
					0	5	3	8		28.000	14.411	1.589	0.000	3.000	0.000	0.000
					0	1	1	2		7.000	1.300	0.700	2.000	1.500	0.000	0.000
					0	1	0	1		3.500	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000
					1	0	1	2		7.000	2.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000
					1	0	4	5		17.500	0.000	8.000	0.000	1.548	7.952	0.000
					0	0	1	1		3.500	0.000	2.000	1.500	0.000	0.000	0.000
					2	9	14	25		87.500	18.961	18.889	8.500	12.548	28.602	0.000
4 Development of Ornamental and recreational Fisheries																
4	Backyard Ornamental fish Rearing unit (both Marine and Freshwater)	3.00	Nos.		0	6	3	9		6.750	0.000	0.000	0.000	2.750	0.750	4.750
					0	3	0	3		2.250	0.326	0.424	0.000	0.750	0.000	0.000
					0	9	3	12		9.000	0.326	0.424	0.000	3.500	0.000	0.000
5 Technology/infusion and Adaptation																
5	Establishment of Large RAS (8 tanks of minimum 90 m3/tank capacity 40 ton /crop)	50.00	Nos.		1	0	0	1		12.500	0.000	6.000	0.000	5.000	7.500	0.000
					0	0	1	1		12.500	0.000	6.000	0.000	5.000	7.500	0.000
					1	0	1	2		25.000	0.000	6.000	0.000	8.000	5.000	0.000
					0	0	2	2		25.000	6.000	6.000	0.000	8.000	5.000	0.000
					0	0	2	2		25.000	6.000	6.000	0.000	8.000	5.000	0.000
					0	4	2	6		37.500	15.000	15.000	0.000	1.250	0.000	0.000
					0	0	1	1		6.250	3.000	2.000	0.000	6.250	2.500	0.000
					0	4	3	7		43.750	18.000	17.000	0.000	1.267	6.847	0.000
					0	2	4	6		37.500	10.052	19.334	0.000	5.000	0.000	0.000
					0	1	3	4		25.000	0.000	20.000	0.000	2.500	0.000	0.000
					0	1	1	2		12.500	8.599	1.401	0.000	5.250	1.000	0.000
					0	0	1	1		6.250	0.000	0.000	0.000	5.636	0.864	0.000
					0	1	1	2		12.500	0.000	0.000	2.500	0.000	0.000	0.000
					0	1	1	2		12.500	0.000	10.000	2.500	0.000	0.000	0.000
					0	6	11	17		106.250	18.651	50.735	8.500	19.653	8.711	0.000
					0	6	11	17		106.250	18.651	50.735	8.500	19.653	8.711	0.000

24 के जिलावार मांग

(राशि लाख रु० में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (Rs. in lakh)	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category/ (Beneficiary nos.)			Total Cost (Rs. in lakh)	ग्राम योजना में रेंट धीरा-सरा की राशि (Unit में रेंट धीरा-सरा को 25 %)	फरवरी 2023-24 में धारा की राशि रेंट धीरा-सरा की राशि (Rs. in lakh)			फरवरी 2023-24 में धारा की राशि रेंट धीरा-सरा की राशि (Rs. in lakh)			रेंट धीरा-सरा की राशि 2023-24 में धारा की राशि रेंट धीरा-सरा की राशि में धारा की राशि	
					General	ST	Women			Total	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Dumka	0	0	1	1	1.875	0.000	0.000	0.000	0.000	1.875	0.000		
				Gumla	0	8	4	12	22.500	0.000	0.000	0.000	0.000	1.875	0.000		
				Simdega	0	0	1	1	1.875	0.000	0.000	0.000	0.000	0.875	0.000		
5.3.1	Establishment of RAS (with 1 tank of 100m3 capacity)	7.50	Nos.	Chaibasa	0	1	0	1	112.50	1.875	1.000	0.000	0.000	13.025	14.100		
				Total	0	9	6	15	28.125	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.759		
				Dumka	0	2	15	17	31.875	1.016	16.100	0.000	0.000	0.875	0.000		
				Sahebganj	0	0	1	1	1.875	0.000	1.000	0.000	0.000	6.000	3.375		
				Gumla	0	3	3	6	11.250	1.125	0.750	0.000	0.000	2.625	0.000		
				Jamtara	0	0	3	3	5.625	0.000	0.000	3.000	0.000	5.625	0.000		
				Ranchi	0	1	2	3	5.625	0.000	0.000	2.000	0.000	1.000	0.000		
5.3.2	Establishment of Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Chaibasa	0	3	0	3	412.50	1.875	0.000	0.000	2.625	1.000	0.000		
				Jamshedpur	0	0	1	1	1.875	0.000	0.000	0.000	1.875	7.000	6.855		
				Pakur	5	9	6	20	37.500	0.000	20.000	0.000	3.645	1.875	0.000		
				Lohardaga	1	0	0	1	103.125	0.000	0.000	0.000	8.145	25.000	0.000		
				Total	6	18	31	55	0.125	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Sahebganj	0	0	1	1	0.125	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000		
				Chaibasa	0	1	0	1	0.125	0.000	0.125	0.00	0.000	0.000	0.000		
5.4	Establishment of Backyard mini RAS units	0.50	Nos.	Jamshedpur	1	0	0	1	1.50	0.125	0.125	0.250	0.000	0.000	0.000		
				Total	1	1	1	3	6.000	0.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000		
				Gumla	0	20	0	20	51.600	23.400	28.200	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Sahebganj	10	44	98	152	15.600	15.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
				Ranchi	0	44	8	52	9.000	8.700	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000		
				Dumka	0	30	0	30	3.600	3.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
5.5	Installation of cages in Reservoirs	3.00	Nos.	Jamtara	0	0	12	12	85.800	51.300	28.200	6.300	0.000	0.000	0.000		
				Total	10	138	118	266									
B. Infrastructure And Post Harvest Management																	
6.1	Construction of Cold Storages/ Ice Plants			Dumka	0	0	2	2	20.000	0.000	6.550	0.000	5.000	0.000	8.450		
				Pakur	0	1	0	1	10.000	0.000	3.275	6.725	0.000	0.000	0.000		
6.1.1	Construction of Ice Plants/Cold Storages (min 10 ton capacity production)	40.00	Nos.	Total	0	1	2	3	30.000	0.000	9.825	6.725	5.000	8.450			
6.9	Fish Feed Mills			Sahebganj	0	0	1	1	7.500	0.000	3.000	0.000	4.500	0.000			
				Gumla	0	1	1	2	15.000	6.000	0.000	0.000	5.000	4.000			
				Simdega	0	0	1	1	7.500	2.000	1.000	4.500	0.000	7.500			
				Pakur	0	0	1	1	7.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
6.9.1	Mini Feed Mills of production capacity 2 ton/day	30.00	Nos.	Sahebganj	0	0	1	1	7.500	0.000	3.000	0.640	3.660	0.000			
				Total	0	1	5	6	45.000	8.000	7.000	5.140	13.360	11.500			
				Total	3126.50	667.925	147.679	219.499	46.060				119.336	135.352			

(एक करोड़ रुपये लाख तैलीस हजार छह सौ 70 मात्र)

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।)

(एक करोड़ उन्नीस लाख तैंतीस हजार छह सौ रु० मात्र)

(अबुबक़र सिद्दीख़ पी०)
सरकार के सचिव